

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी - श्री गोपालसिंह (आर०ए०एस०)
उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
प्रकरण संख्या / 58 / 2017

दायर दि०
फैसल दि०

श्री रमेश/राकेश शीवा अनवान
सदकोला बनाम भूमिधारी (तहसीलदार)
(वादी) (प्रतिवादी)

वादी श्री रमेश/राकेश शीवा ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा सदकोला के खाता नम्बर 101, 102 जमाबन्दी सं० 2069-72
में अंकित स्वयं/पिता का नाम रामपण/राकेश
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम रमेश
राकेश है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम रामपण/
राकेश दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम रमेश/राकेश शीवा
होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा सदकोला की जमाबन्दी संवत् 2069-72
के खाता संख्या 101, 102 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम रामपण/राकेश में संशोधन कर सही नाम
रमेश/राकेश दर्ज रेकार्ड किया जावे।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो।

१
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा